1

The value of life - John Harris
जीवन मूल्य - जॉन हैरिस

जॉन हैरिस अपने लेख 'द वल्यु ऑफ लाइफ' में बायोएथिक्स के क्षेत्र में हेल्थ केयर प्रोवाइडरस के सामने खड़ी जीवन मूल्य से संबंधित दुविधा (dillema) का आकलन करते हैं।
चिकित्सक के सामने कई बार ऐसे मामले आते हैं जहां संसाधनों की कमी की वजह से सभी मरीजों का इलाज संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में किस व्यक्ति का इलाज करें और किस का नहीं, एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर देता है। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है, जब प्रश्न किसी के जीवन बचाने का हो। जहां इलाज की देरी से किसी ना किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो। ज्यादातर ऐसी परिस्थितियों में निर्णय के लिए व्यक्ति की उम्र को एक आधार (outcome) बना दिया जाता है। जहां कम उम्र के व्यक्ति के जीवन को बचाना महत्वपूर्ण समझा जाता है, बजाय के उम्रदराज व्यक्ति के। अब प्रश्न यही खड़ा होता है कि इन परिस्थितियों में उम्र को आधार बना देना कहां तक न्यायसंगत है?
इसी प्रश्न का उत्तर पाने का प्रयास जॉन हैरिस का यह लेख करता है। वह विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से age argument - 'आयु संबंधित तर्क', anti-age argument - 'आयु तर्क के विरुद्ध तर्क' व fair inning argument - 'उचित आयु पारी तर्क' को परखते हैं।

जॉन हैरिस अपने लेख की शुरुआत कुछ असमंजस में डालने वाले मामलों से करते हैं -
पहला - मानो कि रेनल डायालेसिस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही जगह उपलब्ध है या फिर सिर्फ एक ही बेड ट्रांसप्लांट यूनिट में खाली है।

दर्शन-मित्र

2

उपलब्ध है या जीवन संरक्षण सुविधा संसाधनों की कमी में सिर्फ एक ही मरीज को दी जा सकती हो। अगर यह मानें कि वे दो मरीज जिनको इनमें से किसी एक तरीके के इलाज की जरूरत है, एक 70 साल के ~~विधवा~~ विधुर, दोस्त-परिवार से रहित एकल व्यक्ति है व दूसरी 40 साल की तीन अल्पायु बच्चों की माँ, जिसके पति, परिवार व नौकरी है।

या

दूसरा — मानो एक आपदा के बाद सिर्फ इतने ही मेडिकल रिसोर्स उपलब्ध हैं कि पीड़ितों में से आधों को बचाया जा सके।

या

तीसरा — मानो अगले दो सालों में २०० मरीजों में से सिर्फ आधे मरीजों को ही सर्जरी की सुविधा दी जा सकती है, जो उन्हें समय व बीमारी बढ़ने के साथ बढ़ने वाले कष्टों से निजात दिला सकती है।

अगर यह मानें कि हर मामले में सभी व्यक्तियों को इलाज से होने वाला संभावित लाभ समान है तब किस व्यक्ति का इलाज करना न्यायसंगत होगा और ~~[illegible]~~ किस आधार पर उसे न्यायसंगत ठहराया जा सकेगा।

ज्यादातर लोगों की सोच होगी कि पहले मामले में माँ को बचाना चाहिए, बजाए के विधुर को। इस निर्णय के कई कारण दिये जा सकते हैं। जिनमें से दो उम्र से जुड़े हुए हो सकते हैं:
(1) जवान व्यक्ति को अगर बचाया जाए तो वह ज्यादा दिन जीएगा।
(2) जवान व्यक्ति की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण व सम्पूर्ण खुशियाँ पाने योग्य है।

इनके अलावा एक कारण यह भी बताया जा सकता है कि किसके ऊपर कितने व्यक्ति निर्भर हैं। दूसरा व्यक्ति का सामाजिक महत्व व योगदान एक कारण हो सकता है या फिर व्यक्ति के नैतिक चरित्र के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है।

दर्शन मित्र

दर्शन मित्र

आयका वाले मामलों में भी लोगों की सोच यह रहती थी कि कम उम्र वालों का इलाज किया जाए।
अब चाहे कोई भी आधार बनाया जाए निर्णय लेने के लिए, अर्थ तो यही है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अधिक महत्व दिया जा रहा है। अगर निष्पक्षता कोई रखना चाहता है तो एक आसान तरीका यह नज़र आता है कि या तो सिक्का टॉस कर लिया जाए या लॉटरी की तरह पर्ची निकाल ली जाए कि किसका इलाज करना चाहिए।
जॉन हैरिस यह देखना चाहते हैं कि तार्किक रूप से कौन सा आधार ठीक हो सकता है, क्योंकि जीवन के मामले में लॉटरी निकालना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता।

ज्यादातर लोगों की सोच यही होगी कि पहला मामला जिसमें 40 की उम्र की महिला और 70 साल के विदुर के बीच महिला के जीवन का महत्व दिये जाने के नैतिक कारण भी हैं। पर कुछ एक लोगों का समूह इसे उम्र से जुड़ा अंधविश्वास कहेंगे और इसके विपरीत तर्क देते हैं कि उम्र को इलाज के लिए निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता।
यह मामला सुलझाना बहुत ही गंभीर है।

एंटी-एजिस्ट ~~सर्वोत्कृष्ट~~ तर्क (Anti-ageist argument)

जॉन हैरिस: हम सभी जो जीवित रहना चाहते हैं, वह किसी ना किसी चीज़ को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं जिसके लिए जीना ~~जीवन को~~ चाहते हैं। और यह निश्चित तौर पर हमारा बाकी का बचा हुआ जीवन है ["Rest of our life"]. जब तक हमें मृत्यु का समय नहीं पता तब तक वह अनिश्चित समय काल तक की मान ली जाती है, फिर कोई 17 का हो या 70 का, चाहे स्वस्थ हो या भयंकर रोग से ग्रसित, सब जब तक अंत नहीं हो जाता जीना चाहते हैं।

4 दर्शन मित्र

जॉन का मुख्य तर्क यही है कि जब तक हम अपना बाकि का बचा हुआ जीवन, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जीना चाहते हैं। चाहे वह कितना ही कम या ज्यादा हो और हम मृत्यु के पात्र नहीं हैं, तो हम सामान्य रूप से अन्याय का सामना करते हैं अगर हमारा जीवन हमारी इच्छा के विरुद्ध समाप्त होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है।

इस तर्क को समझाने के लिए जॉन कुछ उदाहरण लेते हैं— वह कहते हैं मानो कि मुझे आज बताया गया कि मुझे अंतिम स्टेज का कैंसर है और मेरे पास लगभग छः महीने ही बचे हैं और मैं इन छः महीनों को पूरी तरह जीना चाहता हूँ जब तक मैं मर नहीं जाता या ऐसा कोई निर्णय नहीं ले लेता। अब मानो कि मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, और डॉक्टर को मेरी कैंसर वाली स्थिति की जानकारी है। अगर इतने संसाधन ना हों कि दुर्घटनाग्रस्त सभी व्यक्तियों का इलाज किया जा सके तो मैं उन व्यक्तियों की लिस्ट में रख दिया जाता हूँ जिनका इलाज नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाला ही हूँ। इस तरह मैं दोगुना अन्याय सहता हूँ। पहले मुझे कैंसर हो गया और फिर इसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने पर भी इलाज नहीं किया जाना तय किया गया। क्योंकि मैं एक बार भाग्यहीन रहा तो मैं बचाने के योग्य ही ना रहा।

जॉन दो अन्य उदाहरणों कक्षा में कम उम्र छात्रों को बिल्डिंग में लगी आग से बचाना व उम्र-ग्रुप ज्यादा वाले छात्रों से भरे हॉल में आग लगने पर उन्हें बचाना के माध्यम से भी यही सिखाते हैं कि

Anti-Ageist यही कहेंगे कि किसी भी जीने की इच्छा के विरुद्ध उसका इलाज करने से मना कर उसको मरने देना, उस व्यक्ति के साथ अन्याय है।

पर Anti-Ageist तर्क के विरुद्ध कई अन्य तर्क भी दिए जा सकते हैं। एक तो यही कि

5
दर्शन मित्र

वह व्यक्ति जिसको कम उम्र में ही बीमारी हो गई तो उसका दोहरा दुर्भाग्य होगा अगर उसको ईलाज ना दिया जाए। एक तो यह कि उसने वह खुशनुमा पल अनुभव देखे ही नहीं जो उम्रदराज व्यक्ति देख चुका है। दूसरा रोग से ग्रसित हो ईलाज ना मिल पाना।

अगर Anti-Ageist argument का एक हिस्सा स्वीकार करले कि जो जीवन बचा हुआ है कम या ज्यादा उसको समान महत्व देना। और ऊपर दिये गए तर्क को भी ध्यान में रखें तो fair Inning Argument एक हल नज़र आता है।
fair inning argument कहता है कि जीवन की एक पारी निर्धारित कर दी जाए, जो किसी भी व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का आनंद लेने के लिए आवश्यक है। अगर यह 70 साल है जैसा कि परंपरागत तौर पर माना जाता है, तो जो व्यक्ति इस उम्र को पार नहीं कर पाया है उसके जीवन को उसकी इच्छा के विरुद्ध खत्म होने देना अन्याय होगा। यहां तर्क यही है कि सभी को यह जीवन की 70 साल की पारी पुरा करने का समान अवसर मिलना चाहिए।

- अगर किसी ने यह पारी पुरी कर ली है, और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति आती है जहां ईलाज किसी एक ही व्यक्ति का किया जा सकता है, ऐसे में 70 वर्ष पार कर चुके व्यक्ति को छोड़ दूसरे कम उम्र वाले व्यक्ति का ईलाज करना अनुचित व अन्यायपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि 70 साल से ऊपर का समय एक बोनस की तरह है।

पर इस तर्क की भी कुछ कठिनाईयां है – अगर चुनाव 40 वर्ष व 30 वर्ष के व्यक्ति के बीच हो तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी ने भी 70 वर्ष की पारी अभी पुरी नहीं की है। यहां fair inning argument आयु तर्क की और ही झुकता नज़र आता है जहां 30 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति कह सकता है कि 40 साल वाले व्यक्ति ने अधिक जीवन जी लिया तो 40 फिर भी सही पारी लगती है 30 वर्ष की बजाए

पर अब एक अन्य उदाहरण द्वारा fair innings के विरुद्ध दी गई इस आलोचना को खारिज करते हैं। यह एक दौड़ में लिए जाने वाले समय का उदाहरण है इसे स्पष्ट करती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ दूरी 7 min में तय कर सकता है, तो ऐसे में ना तो जिसे 4 min दिये गए उसके साथ न्याय हुआ, ना जिसे 3 मिनट दिये गए उसके साथ।

इसके अलावा Anti ageist argument के विरुद्ध और भी समस्याएँ हैं।
पहली है यह कि जीवन बचाए जाने वालों की संख्या (Number of lives) महत्वपूर्ण है या कितना जीवन समय बढ़ाया गया (number of years) है। अगर मानो कोई बीमारी जैसे कैंसर सालाना 120,000 लोगों की मृत्यु का कारण है। अगर कोई दवाई बनाई जा सके जिससे इन सबकी उम्र एक महीना अधिक हो जाए। पर अगर उतनी ही कीमत में ऐसी दवाई बनाई जाए जो एक खास तरीके से ग्रसित लोगों के जीवन में 10 साल और जोड़ दे और यह बीमारी सालाना 1000 लोगों में पाई जाती है। तब अगर केवल एक ही तरह की दवाई का खर्चा वहन करना संभव हो तो किस पर इंवेस्ट किया जाए? या फिर डायलिसिस के लिए एक ही स्थान उपलब्ध है जहाँ नहीं किये जाने पर व्यक्ति तुरंत मर जाएगा। पर करने पर भी 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा और दूसरा व्यक्ति डायलिसिस नहीं किये जाने पर तुरंत मर जाएगा पर उसके सहारे 10 साल और जीवित रह सकता है। ऐसी स्थिति में किसको डायलिसिस की सुविधा दी जाए। दोनों ही मामले जिस चुनाव में ज्यादा साल जीवन बचाया जा सके ऐसा निर्णय लेने को प्रेरित करते हैं, जो सीधे तौर पर anti-ageist argument के विरुद्ध जाता है।

7
दर्शन मित्र

लाईफ-टाइम यूट्यू में तौल

अगर किसी कोई दवाई बनाई जाए कि इसको रखने वाला व्यक्ति अमर हो जाए पर उपलब्ध केवल ही सीमित है एक ही डोज बनाई जा सकती है और आने की तरह में ऐसी दवाई बनाई जा सकती है जिसे लेकर सब 80 साल जिएं। तो life time को बचाने के हक में होगी। पहले तरीके की दवाई जो एक व्यक्ति को अमर कर दी पर ठीक है। एक व्यक्ति को अमर बना देने से और अधिक लाइफ ईयर नहीं बचाए जा सकते जो कि दूसरे विकल्प में संभव है। अब यह संसार और इसमें रहने वाले प्राणी जीवित तक है जब तक अमर व्यक्ति रहेगा जब तक कोई जीवन संसार का वर्ल्ड-पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं लाता तब तक उसे महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता।

इसके साथ ही जीवन में वर्षों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे साल कितने महत्वपूर्ण हैं, अगर जीवन सिर्फ बढ़ा दिया गया है पर उसका कोई महत्व नहीं है तो ऐसे जीवन बढ़ा देने मात्र से भी कोई फायदा नहीं होगा।

इस तरह इसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि—

* सभी व्यक्तियों का जीवन समान रूप से मूल्यवान है, अगर वह जीना चाहते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा।
* असमंजस की स्थिति में 'fair inning view' से फैसला लिया जा सकता है।
* अगर ऐसा कोई मामला आ जाए जहां 'fair inning view' कारगर नहीं है तो विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देकर फैसला लेना होगा
  → Life expectancy — आयु सीमा।
  → worth of rest of the life - बचे हुए जीवन का महत्व
  → number of lives — जीवन संख्या।